राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर।

पीठासीन प्राधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ रा.प्र.से.

अपील सं. 24/2016

उनवान

1. गुलाब कंवर पत्नी स्व0 भानीसिंह जाति राजपूत निवासी मोटासर हाल आबाद नौखा उर्फ देया तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2. भंवरसिंह पि0 स्व0 भानीसिंह जाति राजपूत निवासी मोटासर हाल आबाद नौखा उर्फ देया तहसील कोलायत जिला बीकानेर
3. मोहनसिंह पि0 स्व0 भानीसिंह जाति राजपूत निवासी मोटासर हाल आबाद नौखा उर्फ देया तहसील कोलायत जिला बीकानेर
4. भारतसिंह पि0 स्व0 भानीसिंह जाति राजपूत निवासी मोटासर हाल आबाद नौखा उर्फ देया तहसील कोलायत जिला बीकानेर
5. महेन्द्रसिंह पि0 स्व0 भानीसिंह जाति राजपूत निवासी मोटासर हाल आबाद नौखा उर्फ देया तहसील कोलायत जिला बीकानेर
6. मु0 मूलीकंवर पि0 स्व0 भानीसिंह जाति राजपूत निवासी मोटासर हाल आबाद नौखा उर्फ देया तहसील कोलायत जिला बीकानेर
7. मु0 पुष्पाकंवर पि0 स्व0 भानीसिंह जाति राजपूत निवासी मोटासर हाल आबाद नौखा उर्फ देया तहसील कोलायत जिला बीकानेर
8. केलूसिंह पि0 स्व0 भानीसिंह जाति राजपूत निवासी मोटासर हाल आबाद नौखा उर्फ देया तहसील कोलायत जिला बीकानेर
9. मु0 बबीकंवर पि0 स्व0 भानीसिंह जाति राजपूत निवासी मोटासर हाल आबाद नौखा उर्फ देया तहसील कोलायत जिला बीकानेर
10. मु0 छोटूकंवर पि0 स्व0 भानीसिंह जाति राजपूत निवासी मोटासर हाल आबाद नौखा उर्फ देया तहसील कोलायत जिला बीकानेर

——अपीलान्टान

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र इसरसिंह जाति राजपूत निवासी नोखा उर्फ देया तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत

——रेस्पोडेन्टान

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 30.06.20216 न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री हरिकिशन उपाध्याय एवं रामचन्द्र सिंह भाटी

अप्रार्थी सं0 01 की ओर से– विद्वान अभिभाषक रणजीत सिंह निर्वाण

अप्रार्थी सं0 02 की ओर से– पैराकराज

निर्णय दिनांक :– 25.06.2025

निर्णय

1. यह अपीलें धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्टान के नाम ग्राम नोखा उर्फ देया में खसरा नं0 32/6/4 मीन में 40 बीघा एवं खसरा नं0 90/4/1 मीन में 42 बीघा 12 बिस्वा भूमि बतौर महाजन फील्ड फाईरिंग रेन्ज विस्थापित आवंटन होकर उसी समय राजस्व रिकार्ड में जरिये ईन्तकाल संख्या 446 दर्ज कर मौका पर कब्जा दिया जाकर खसरा में तरमीम किया गया है। अपीलाण्टान का आवंटन के बाद कब्जा दिये से आज दिनांक तक मौके पर भौतिक कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2041 से 2044 हमराह प्रस्तुत है तथा नक्शा प्रति हमराह पेश है।

3. रेस्पोडेण्ट सं0 1 के नाम ग्राम नोखा उर्फ देया में खसरा नं0 168/90/4 में 34 बीघा भूमि आरजी काश्त आवंटन है जो ईन्तकाल सं0 1229 दिनांक 11.12.2013 से खातेदारी हुई है। उक्त रकबा 34 बीघा ही आवंटन शुदा है जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या अपने खसरे की भूमि पर काबिज नहीं होकर वन विभाग की भूमि पर काबिज था जब रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को इस तथ्य का पता चला तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उक्त खसरे के एमएफएफआर आवंटियों की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जिसमें प्रकारेण मौके पर एमएफएफआर आवंटियों की भूमियों पर कब्जा करने के लिए एक वाद न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत के समक्ष पेश किया तथा आवंटी खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की जो दिनांक 30.06.2016 को सरासर एकतरफा तोर पर बाला बाला ही सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपने वाद में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसका आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा उसका कब्जा अपीलाण्टान की भूमि पर है तो आवंटन नियमों के अनुसार रेस्पोडेण्टान सं0 1 टीसी से पुख्ता आवंटन का पात्र ही नहीं था। इस तथ्य को न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर द्वारा दरकिनार किया गया तथा श्रीमान तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत द्वारा भी रेस्पोडेण्ट सं0 1 के आवंटन के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर मात्र एमएफएफआर आवंटी खातेदारों को तंग परेशान करने की नियत से एक खातेदार काश्तकार के विरूद्ध कानून के विरूद्ध जाकर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के विपरीत अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है जो कानून एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 1 को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए सबूत एकत्रित करने की गरज से जाकर बिना किसी कानूनी प्रावधान के तहसील कार्यालय से रिपोर्ट मंगवाई तथा हल्का पटवारी एवं तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत ने भी रेस्पोडेण्ट सं0 1 को भरपूर सहयोग प्रदान कर अनुचित रूप से गैर कानूनी रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई तथा अपीलाण्टान के उपस्थित होते हुवे भी बिना अपीलाण्टान की बहस सुने न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत द्वारा दिनांक 30.06.2016 को एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया गया जो कानून एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6. सर्वविदित है कि कृषि भूमि का सीमा ज्ञान पैमाईस जून माह में किया जाता है तथा विशेष परिस्थितियों में ही अन्य महिनों में किया जाता है। अपीलाण्टान एवं अन्य महाजन फील्ड फायरिंग रनेज विस्थापितों द्वारा गत दो सालों से अपनी अपनी भूमियों के सीमा ज्ञान एवं पैमाइस के लिए आवेदन दिये जाते है तब रेस्पोडेण्ट सं0 1 व अन्य अतिक्रमियों द्वारा कोई ना कोई बहाना लिया जाकर पैमाइस रूकवा दी जाती है।

7. सर्वविदित है कि किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित न्यायालय को पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई सबूत का अवसर दिया जाना आवश्यक है मगर अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्टान को किसी भी प्रकार से

सुनवाई सबूत का कोई अवसर दिये बगैर ही अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है जो कानून एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

8. वकील अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पो0 वकील ने धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत से दिनांक 30.06.2016 द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किया जबकि उक्त धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र के साथ कोई दावा अथवा वाद नहीं है बल्कि रेस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के साथ धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश जारी करवा लिया गया, जो संभव नहीं है। धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की परिभाषा में ही परिभाषित किया गया है कि धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र इसी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत वाद या दावे के साथ पेश किया जा सकता है। धारा–212 **Provision for injuction and appointment of a receiver (1) If in the course of any suit or proceeding under this act.** फॉर्म नं0 3 के संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मौखिक बहस करते हुए कथन किया कि वकील अपीलांट द्वारा यह बिन्दु "धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र के साथ कोई दावा अथवा वाद नहीं है बल्कि रेस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया" अपील न्यायालय के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता है। साथ ही यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायालय हाजा को रिमाण्ड कर अपील का निस्तारण दोनों पक्षों को सुनकर विधि अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अपील पत्रावली का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाए।

10. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में वकील उभय पक्षों द्वारा की गई बहस को सुना गया तथा लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–212 के प्रावधान पर मनन किया, जिससे विदित होता है, कि धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र इसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी वाद/दावा या कार्रवाई के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। फॉर्म नं0 3 के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत में रेस्पो0 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–136 के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–212 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत का आदेश दिनांक 30.06.2016 विधिसम्मत नहीं होने कारण खारिज किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन
एवं राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर